न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—352 / 2026

1. अनील कुमार पिता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह।
साकिन—बीबीगंज, थाना—दानापुर, जिला—पटना।

—————— अभियुक्त।

आवेदक की ओर से— श्री रामजी एवं नंदकिशोर शर्मा, अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से —श्री रामकेश्वर प्रसाद, लोक अभियोजक।

आदेश

09.03.2026 दानापुर थाना कांड संख्या—1202 / 2024 धारा—318(4),319(2),336(3),338,340(2),3(5) बी.एन.एस. से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस जमानत के पूर्व ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक दानापुर थाना कांड संख्या—491 / 2020. में भी वांछित है, जिसमें जमानत पर है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के पत्र सं0—24619 दिनांक—30.11.2024 के माध्यम से प्राप्त निर्देश के आलोक में उपरोक्त उल्लिखित कर्मचारी कि विरूद्ध श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, को लिखे पत्र संख्या—312 दिनांक—29.11.2024 में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया जाता है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक उक्त वाद में एक अधिवक्ता के रूप में जमानत आवेदन दाखिल किया था, जिस जमानत बॉड पर हस्ताक्षर किये थे। आवेदक को उक्त वाद में हेरफेर के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही संलिप्तता को कोई सबूत है। आवेदक को संदेह के आधार पर आरोपी बनाया गया है। आवेदक को फरार होने की कोई संभावना नहीं है और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना है। आवेदक सभी शर्तों को पालन करने हेतु तैयार है। अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत का विरोध करते हैं।

संक्षेप में श्रीमान् मनोज कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, दानापुर द्वारा गोपणीय पत्र संख्या—312 दिनांक—29.11.2024 द्वारा श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना को दिये गये आवेदन में उल्लिखित है कि मुझे आपके द्वारा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम्, दानापुर के न्यायालय का प्रभारी बनाया गया है, क्योंकि संबंधित अधिकारी दिनांक—27.11.2024 से 30.11.2024 की अवधि के लिये प्रशिक्षण में भाग ले रहे थे, उक्त न्यायालय के कार्यालय चपरासी जितेन्द्र कुमार द्वारा तीन अभियुक्तों से संबंधित उक्त मामले में दिनांक—27.11.2024 को पारित जमानत आदेश के बारे में अपने संदेह को दूर करने के लिये उक्त न्यायालय में लम्बित सत्र वाद सं0—325 / 2013, पंजीयन संख्या—

लगातार
09.03.2026

566/2015 के रूप में एक अभिलेख प्रस्तुत किया गया था और उसी के अवलोकन से पता चला कि उक्त जमानत आदेश उक्त न्यायालय के कार्यालय लिपिक सह पीठ लिपिक करण वर्मा जो कि अभिलेखों के अभिरक्षक हैं, द्वारा मेरी अनुमति के बिना अपने लेखन में बनाया गया एक जाली आदेश है और जमानत बॉड के साथ उक्त क्लर्क द्वारा मेरे हस्ताक्षर भी जाली है। आरोपीगण दिनांक–27.11.2024 को जमानत के लिये न तो मेरे समक्ष न्यायालय में उपस्थित हुये और न ही जमानत आवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि सी.सी.टी.वी. रिकॉर्डिग से स्पष्ट हो सकता है। कथित आरोप न तो मेरे द्वारा पारित किया गया था और न ही उसपर कभी हस्ताक्षर किया गया था। यह मामला गंभीर है। भविष्य में उक्त क्लर्क द्वारा इसके दोहराव/हेरफेर की संभावना है, इसलिये मैंने रिकॉर्ड को अपने पास रख लिया है और संबंधित पीठा0पदा0 को प्रशिक्षण से लौटने पर सौंप दिया जाएगा। उपरोक्त क्लर्क का आचरण गंभीर कदाचार है, इसके लिये सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना न्यायालय से पत्र सं0–24619 दिनांक–30.11.2024 द्वारा प्रत्र प्राप्त है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख व कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि कांड दैनिकी के कंडिका–20., 30, 75. एवं 151. के साक्षीगण ने अपने साक्ष्य में कहा है कि बेंच कलर्क सह ऑफिस कलर्क करण वर्मा के द्वारा अभियुक्तों, जमानतदारों एवं वकील से मिलकर मूल रेकर्ड में अपने मन से लिखकर अभियुक्तों को जमानत दे दिया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है

अवएव मामले के तथ्यों व अपराध की गंभीरता को देखते हुये उक्त अभियुक्त को अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, उनके तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,

Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।